उत्तर प्रदेश शासन
मत्स्य उत्पादन अनुभाग
संख्या-2/2015/92/सत्रह-म-2015- द्वितीय- प्रथम ड(2)/06
लखनऊ : दिनांक : 15 जनवरी, 2015

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-7/2015/2276/सत्रह-म-2014, ।।-। ड(2)/06 दिनांक 12 जनवरी, 2015 में टंकक त्रुटि के कारण 08-कार्यालय व्यय में धनराशि रूपये 0.30 लाख के स्थान पर रूपये 0.50 लाख टंकित हो गया है, जिसे 08 कार्यालय व्यय में धानराशि 0.50 लाख के स्थान पर रूपये 0.30 लाख पढ़ा जाय। अत: उक्त शासनादेश दिनांक 12-01-2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव।

संख्या-2/2015/92(1)/सत्रह-म-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, मत्स्य, उ.प्र., लखनऊ
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ.प्र., इलाहाबाद।
3- अनु सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, लखनऊ
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन-3
7- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।